न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—125/2024

प्रार्थी :—

लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणाराम पुत्र सालूराम जाति रबारी निवासी देवपुरा तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री महेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 24.11.2025

प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 305, 303 व 304 व रकबा क्रमशः 5.2286, 0.9551, 0.0324 हैक्टेयर भूमि ग्राम देवपुरा तहसील सिवाना में अवस्थित है , उक्त भूमि पैतृक भूमि है उक्त भूमि में म्यूटेशन भरने के दौरान राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थी का नाम ''लिछमणाराम'' दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम ''लक्ष्मणराम '' दर्ज है विवादित भूमियों में प्रार्थी का नाम अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में ग्रामीण सेवा शिविर शिविर स्थल धारणा में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत धारणा का प्रमाण पत्र तथा राशनकार्ड, आधार कार्ड व पेनकार्ड की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ''लक्ष्मणराम'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 305, 303 व 304 व रकबा क्रमशः 5.2286, 0.9551, 0.0324 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ''लिछमणाराम'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी, प्रार्थी के दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:45:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के ग्राम पंचायत धारणा का प्रमाण पत्र तथा राशनकार्ड, आधार कार्ड व पेनकार्ड की छायाप्रति आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम ''लक्ष्मणराम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम ''लिछमणाराम''दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''लक्ष्मणराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ग्राम देवपुरा के खसरा संख्या 305, 303 व 304 व रकबा क्रमशः 5.2286, 0.9551, 0.0324 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम ''लिछमणाराम ''के स्थान पर ''लक्ष्मणराम उर्फ लिछमणाराम ' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 24.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा) सत्यमेव जयते

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.01.27 11:45:01 IST
Reason: SelfAttested